प्रेस विज्ञप्ति
22.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ज़ोनल कार्यालय ने झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पुत्र अंकित राज व उसके छः सहयोगियों के खिलाफ 21/8/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन व धन शोधन के एक मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। अन्य अभियुक्तों में मनोज कुमार अग्रवाल, पंचम कुमार, संजीव कुमार, मनोज प्रसाद दांगी, अनिल कुमार तथा बिंदेश्वर कुमार दांगी शामिल हैं।

ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा योगेंद्र साव, उनके परिवार और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज सोलह एफआईआर के आधार पर धन-शोधन की जाँच शुरू की। इन अपराधों में जबरन वसूली, अवैध रेत खनन, सरकारी कामकाज में बाधा और झारखंड टाइगर ग्रुप नामक एक गैरकानूनी संगठन का संचालन जैसी कई गंभीर आपराधिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

ईडी की जाँच से पता चला है कि अंकित राज एक भारी मात्रा में आपराधिक आय (पीओसी) उत्पन्न करने वाले व्यवस्थित और बहुस्तरीय अवैध रेत खनन सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। जाँच से पता चला कि अंकित राज ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, 2019 में अपने खनन लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के लंबे समय बाद भी हाहारो, प्लांडु और दामोदर नदियों से अवैध रूप से रेत निकालना और बेचना जारी रखा।

उक्त सिंडिकेट ने अवैध मुनाफ़े को शोधित करने के लिए एक जटिल कार्यप्रणाली अपनाई। इसमें अवैध रूप से खनन की गई रेत को अपने सहयोगियों के लाइसेंस प्राप्त कारखानों में वैध स्टॉक के साथ मिलाकर छिपाना, वैधानिक नियमों की अवहेलना करके पीओसी उत्पन्न करना, तथा नकद जमा व वित्तीय लेनदेन के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से अवैध धन को शोधित करना शामिल था।

इन आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अंकित राज व उसके सिंडिकेट ने 3.12 करोड़ रुपये से ज़्यादा की पीओसी अर्जित की। ईडी ने अब तक अंकित राज की 28 संपत्तियों और दो सावधि जमाओं सहित 3.02 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियों की पहचान की है और उन्हें अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

मार्च, 2024 और जुलाई, 2025 में कई स्थानों पर ईडी द्वारा की गई तलाशी में अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और बेहिसाब नकदी जब्त की गई, जिससे सिंडिकेट के संचालन की पुष्टि हुई।

आगे की जांच जारी है।